पत्रांक–3 / नि0मे0को0–01 / 2018

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी उप निदेशक (नियोजन),
सभी सहायक निदेशक (नियोजन),
सभी नियोजन पदाधिकारी / जिला नियोजन पदाधिकारी।

पटना–01, दिनांक–

विषयः– श्रम संसाधन विभाग के तत्वावधान में वित्तीय वर्ष 2018–19 में आयोजित होने वाले नियोजन–सह–व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला के सफल आयोजन से संबंधित दिशा निर्देश के अनुपालन हेतु।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि श्रम संसाधन विभाग के तत्वावधान में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में दिनांक–23.06.2018 से नियोजन मेला निर्धारित है। नियोजन मेला के सफल आयोजन हेतु विभाग पूर्णरूपेण प्रतिबद्ध है।

तदालोक में उक्त नियोजन मेला के सफल आयोजन से संबंधित दिशा निर्देश की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि संबंधित दिशा निर्देश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक–**यथोक्त** ।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(धर्मेन्द्र सिंह)
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3 / नि0मे0को0–01 / 2018 – 581 पटना–01, दिनांक– 19.06.2018

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब पोर्टल पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक 19/06
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

विभाग द्वारा आयोजित होने वाले नियोजन सह–व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश ।

1. नियोजन सह मार्गदर्शन मेलें में भाग लेने वाले सभी नियोजक अनिवार्य रूप से NCS (National Career Service) पोर्टल www.ncs.gov.in पर निबंधित होने चाहिए ।

2. NCS (National Career Service) पोर्टल www.ncs.gov.in पर नियोजकों को निबंधित होने के लिए संबधित जिला के नियोजन पदाधिकारी पुर्णरूप से सहयोग प्रदान करेंगे।

3. नियोजकों द्वारा विहित प्रपत्र में रिक्ति अधिसूचना प्राप्त करने के पश्चात् जाँचोंपरान्त ही नियोजन मेले में पदाधिकारियों द्वारा स्टाल का आंवटन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. नियोजकों द्वारा प्राप्त सभी रिक्ति अधिसूचना को संबंधित जिला के पदाधिकारी NCS (National Career Service) पोर्टल www.ncs.gov.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

5. नियोजनालय के नियोजक पंजी पर उपलब्ध नियोजको को स्टॉल आवंटित करने में वरीयता प्रदान की जाएगी ।

6. नियोजन मेले में विशेषज्ञों द्वारा व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन कराया जाएगा ।

7. श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना द्वारा निर्धारित नियोजन सह मार्गदर्शन मेला कार्यक्रम के अनुसार सभी नियोजन मेला का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा ।

8. नियोजन मेला का स्थानीय स्तर पर विशेष प्रचार प्रसार समाचार पत्रों, बैनर, पैम्प्लेट एवं होडिंग द्वारा सुनिश्चित की जाएगा ।

9. क्षेत्रीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीय एवं प्रमाणिक नियोजकों की सूची (नियोजक पंजी) तैयार करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर नियोजन मेला में भाग लेने हेतु उन्हें आमत्रित करेगें ।

10. नियोजन मेला के आयोजन स्थल को मेला के आयोजन की तिथि से 15 दिन पूर्व निर्धारित कर निदेशालय नियोजन को सूचित किया जायेगा ।

11. नियोजन मेला के 15 दिन पूर्व निर्धारित आयोजन स्थल एवं तिथि की सूचना NCS (National Career Service) पोर्टल www.ncs.gov.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

12. नियोजन मेला की समाप्ति के तीन दिनों के अन्दर मेला का फलाफल पूर्ण विवरणी यथा भाग लेने वाले नियोजकों का नाम एंव पूरा पता, ई–मेल आई0डी0, दूरभाष संख्या, चयनित उम्मीदवारों की पदवार संख्या आदि के संबध में निदेशालय नियोजन को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. नियोजको द्वारा चयनित आवेदकों की नियुक्ति संबंधी सूचना का सतत अनुश्रवण किया जायेगा ।

14. नियोजन मेला में मुख्य अतिथि/उदधाटनकर्ता /विशिष्ट अतिथि के रूप में स्थानीय जनप्रतिनिधयों को आमंत्रित करेंगे । इस हेतु सबंधित पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से स्थानीय जन प्रतिनिधियो से सम्पर्क कर उन्हें मुख्य अतिथि/ उदधाटनकर्ता / विशिष्ट अतिथि के रूप में नियोजन मेला में भाग लेने हेतु आमंत्रित करेंगे ।

15. नियोजन मेंला में किसी भी प्रकार की अनियमितयता दृष्टिगोचर होने पर तत् सम्बन्धी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे । साथ ही कृत कार्रवाई से निदेशालय नियोजन को भी अवगत कराएंगे ।

16. पदाधिकारियो की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि नियोजन मेला में किसी भी फर्जी नियोजक को स्टॉल आवंटित नही किया जाए।

17. यदि कोई अभ्यर्थी एवं नियोजक एन0सी0एस0 पोर्टल में निबंधित नहीं है तो मेला स्थल पर ही उनका निबंधन एन0सी0एस0 पोर्टल पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

18. नियोजन मेला के संबंध में समय–समय पर निदेशालय नियोजन से प्राप्त दिशा निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

निदेशक 19/06
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।